प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 01 अप्रैल, 2016**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि से विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को जारी किये गये बन्ध पत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-226/मप्र(वित्त)/विप्र-2/288/आय-व्ययक/2016-17 दिनांक 15.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-09 के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रूपये 376,02,83,000/- (रूपये तीन सौ छिहत्तर करोड़ दो लाख तिरासी हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 255,40,81,000/- (रूपये दो सौ पच्चपन करोड़ चालिस लाख इक्यासी हजार मात्र) को स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण रूपये 218,06,45,000/- (दो सौ अठ्ठारह करोड़ छः लाख पैंतालिस हजार मात्र) को दिनांक 01 अप्रैल, 2016 में एवं अवशेष धनराशि रूपये 37,34,36,000/- (रूपये सैंतीस करोड़ चौंतीस लाख छत्तीस हजार मात्र) को दिनांक 07 अप्रैल, 2016 तक किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को जारी किये गये बन्ध पत्रों के देय ब्याज के भुगतान हेतु प्रत्येक दशा में दिनांक 04.04.2016 को आहरित कर लिया जाय। चूँकि यह व्यय विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत वचनबद्ध व्यय है, अतः इसमें किसी स्तर पर विलम्ब कदापि न किया जाय। किसी भी स्तर पर विलम्ब के लिए सम्बंधित का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व होगा।

4- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र

http://shasanadesh.up.nic.in

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-आयोजनेत्तर-05-संचरण तथा वितरण-800-अन्य व्यय-11-सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों की ब्याज के भुगतान हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को अनुदान -20-सहायता अनुदान- सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 93 /दस-2016, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 56 788(1)/24-1-16, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in